

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश

प्रगति भवन, भोपाल विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, एम.पी.नगर, भोपाल

टूरभाष : 0755-2674318, 2674337, फैक्स : 0755-2766315

E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि.-II/ 326

भोपाल, दिनांक : 11/01/2023

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी),
मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

विषय : वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुसंधान/अध्ययन की अनुमति हेतु निर्धारित आवेदन प्रारूप एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।

—00—

उपरोक्त विषय में प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में वन्यप्राणियों से संबंधित अध्ययन की अनुमति के संबंध में वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं में कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :-

- वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध वन्यप्राणियों के बायोलॉजिकल सैम्पल्स एकत्रित कर अध्ययन करने की अनुमति के प्रस्ताव वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा-12 (b) के अंतर्गत आवश्यक अनुमति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये जाते हैं तथा अन्य सूची में सूचीबद्ध वन्यप्राणियों के बायोलॉजिकल सैम्पल्स एकत्रित कर अध्ययन करने की अनुमति के प्रस्ताव अनुमति हेतु राज्य शासन को प्रेषित किये जाते हैं।
- अध्ययन हेतु वन्यप्राणियों के बायोलॉजिकल सैम्पल्स एकत्रित किये बिना अध्ययन कार्य की अनुमति के प्रस्ताव के संबंध में प्रस्ताव की मंशा के अनुरूप प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा-28 (a), (c) के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
- आवेदक द्वारा अनुसंधान/अध्ययन हेतु आवेदन (अनुसंधान/अध्ययन प्रस्ताव) निर्धारित आवेदन प्रारूप में Synopsis एवं Methodology के साथ आवेदक के संस्थान के मध्याम से तथा संस्थान के Forwarding Officer के हस्ताक्षर सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल को प्रेषित किया जावेगा।
- अनुसंधान/अध्ययन हेतु आवेदन का निर्धारित आवेदन प्रारूप संलग्न है। (हिन्दी एवं अंग्रेजी में)

कृपया अनुसंधान/अध्ययन की अनुमति की प्रक्रिया के संबंध में उपरोक्त जानकारी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

०६.०१.२०२३
(जसबीर सिंह चौहान)

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र.

Application form for research/study in protected areas/wildlife related subjects of Madhya Pradesh

Part-1

1	Name of the applicant's Institute	
2	Title of the research proposal proposed by applicant (Please enclose synopsis along with the Institute's recommendation letter)	
3	Name of applicant's Guide for research work	
4	Brief details of the Guide's study/work experience on wildlife related subjects.	
5	Name of the Researcher (Current passport size photo)	
6	Citizenship of the Researcher	
7	Age of the Researcher	
8	Educational qualification of the Researcher.	
9	Contact address of the Researcher including e-mail ID and Telephone no.	
10	Brief details of the Researcher's study/work experience on wildlife related subjects.	
11	Period of research/study.	
12	Duration of field work for research/study.	
13	Name those protected areas/regional forest divisions of M.P., where field work will be carried out during research.	
14	Brief action plan of the research/study (in approx. 100 words).	
15	If this research/study work is getting financial assistance from any deptt./institute/organisation etc., then its details and sanction letter.	
16	Brief note on utility of potential findings of research/study in wildlife protection (in approx. 100 words)	

Part – 2

In case wild animals are to be captured, specimen of wildlife species/ plant species are required to be collected, please give its details (please make entries after study of relevant provisions; ex Section 9, 11, 12, 29, 35, 50 of Wildlife Protection Act, 1972).

Table-A
(If wild animals are to be captured)

Sl. No.	General name and scientific name of the species	Schedule/Sl. No. of Wildlife Protection Act, 1972, at which the wild animal is entered.	Purpose for which wild animal is to be captured (collecting specimen/ taking measurement/ doing radio collar/ others) give details	Method of capturing wild animal (Chemical method/ Physical method) give details.	Number of wild animals to be captured.

Table – B
(If specimen of wildlife species are required to be taken)

Sl. No.	General name of the species and scientific name.	Schedule/ Sl. No. of Wildlife Protection Act, 1972, at which the wild animal is entered.	Type of specimen to be collected	Types of specimen to be collected			Quantity/ numbers of the specimen to be collected.
				Feces	Organ/ organ tissues/ hair and blood etc. from living animal.	Organ/organ tissues/ hair and blood etc. from wild animal found dead in forest areas.	
1	2	3	4	5	6	7	8

Table-C
(If specimen of plant species are required to be taken)

Sl. No.	General name of the species and scientific name	Type of specimen to be collected.		Quantity/ numbers of the specimen to be collected.
		Part of plant species e.g. leaves, root, bark, etc.	Whole plant	
1	2	3	4	5

Applicant's Signature

Name of forwarding officer

Signature & Seal

**मध्य प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों/वन्यप्राणी संबंधित विषयों में
अनुसंधान/अध्ययन हेतु आवेदन प्रारूप**

भाग—1

1	आवेदक के संस्थान का नाम	
2	आवेदक द्वारा प्रस्तावित अनुसंधान प्रस्ताव का शीर्षक (संस्थान के अनुशंसा पत्र के साथ सिनोप्रिस संलग्न करें)	
3	अनुसंधान कार्य हेतु आवेदक के मार्गदर्शक का नाम	
4	मार्गदर्शक का वन्यप्राणी संबंधित विषयों पर अध्ययन/कार्यानुभव का संक्षिप्त विवरण	
5	शोधकर्ता का नाम (वर्तमान पासपोर्ट साइज़ फोटो)	
6	शोधकर्ता की नागरिकता	
7	शोधकर्ता की आयु	
8	शोधकर्ता की शैक्षणिक योग्यता	
9	शोधकर्ता का सम्पर्क पता, ईमेल आईडी व दूरभाष नं. सहित	
10	शोधकर्ता का वन्यप्राणी संबंधित विषयों पर अध्ययन/कार्यानुभव का संक्षिप्त विवरण	
11	अनुसंधान/अध्ययन की अवधि	
12	अनुसंधान/अध्ययन हेतु क्षेत्रीय कार्य की अवधि	
13	अनुसंधान के दौरान क्षेत्रीय कार्य मध्य प्रदेश के जिन-जिन संरक्षित क्षेत्र/क्षेत्रीय वनमंडल में किया जाएगा उनका नाम।	
14	अनुसंधान/अध्ययन की संक्षिप्त कार्य योजना (लगभग 100 शब्दों में)	
15	अनुसंधान/अध्ययन कार्य को किसी विभाग/संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही हो तो उसका विवरण एवं स्वीकृति पत्र।	
16	अनुसंधान/अध्ययन के प्रत्याशित परिणामों की वन्यप्राणी संरक्षण में उपयोगिता पर संक्षिप्त टीप लगभग 100 शब्दों में	

भाग—२

अनुसंधान के दौरान यदि वन्यप्राणियों को पकड़ा जाना हो, वन्यप्राणी प्रजातियों/पौध प्रजातियों के नमूने एकत्र किया जाना आवश्यक हो तो उसका विवरण। कृपया वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के सुसंगत प्रावधानों (उदा. 2, 9, 11, 12, 29, 35, 50 आदि) के अध्ययन उपरांत ही प्रविष्टि करें।

तालिका—अ

(यदि वन्यप्राणियों को पकड़ा जाना आवश्यक हो)

क्र.	प्रजाति का सामान्य नाम एवं वैज्ञानिक नाम	व.प्रा.सं. अधि. 1972 की अनुसूची एवं क्र. जिस पर वन्यप्राणी दर्ज है।	वन्यप्राणी को पकड़े जाने का प्रयोजन (नमूने एकत्र करना/माप लेना/रेडियो कॉलर करना/अन्य) विवरण देवें।	वन्यप्राणी पकड़े जाने की विधि (केमिकल विधि/ फिजिकल विधि) विवरण देवें।	पकड़े जाने वाले वन्यप्राणी इकाईयों की संख्या

तालिका—ब

(यदि वन्यप्राणी प्रजातियों के नमूने लिये जाने आवश्यक हों)

क्र.	प्रजाति का सामान्य नाम एवं वैज्ञानिक नाम	व.प्रा.सं. अधि. 1972 की अनुसूची/ क्र. जिस पर वन्यप्राणी दर्ज है।	एकत्र किये जाने वाले नमूने का प्रकार				एकत्र किये जाने वाले नमूनों की मात्रा/ संख्या
			विष्ठा	जीवित प्राणी से मृत वन्यप्राणी से अंग/ अवयव/ ऊतक/ बाल/ रक्त आदि	वन क्षेत्रों में मृत प्राप्त वन्यप्राणी से अंग/ अवयव/ ऊतक/ बाल/ रक्त आदि	संपूर्ण वन्यप्राणी जीवित अथवा मृत अवस्था में	
1	2	3	4	5	6	7	8

तालिका—स

(यदि पादप प्रजातियों के नमूने लिये जाना आवश्यक हों)

क्र.	प्रजाति का सामान्य नाम एवं वैज्ञानिक नाम	एकत्र किये जाने वाले नमूने का प्रकार		एकत्र किये जाने वाले नमूनों की मात्रा/ संख्या
		पादप प्रजाति का अंश यथा पत्ते, जड़, छाल आदि	संपूर्ण पौधा	
1	2	3	4	5

आवेदक के हस्ताक्षर

अग्रेषणकर्ता का नाम

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा